



2026:AHC:26649-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) सं. - 316 सन् 2026

सर्वेश कुमार जायसवाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: सलेस्टेन टोपनो, सुनील, कल्प देव मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: अर्चित मान्धयान, सीमा अग्रवाल (एस.सी.), मीनाक्षी सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर जनहित में याचिका दायर की है, जिसमें प्रयागराज जिले में मंडी शुल्क और विकास उपकर की चोरी की जांच के लिए एक संयुक्त विशेष जांच/प्रवर्तन दल के गठन की मांग की गई है।

2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता स्वयं एक व्यापारी/कमीशन एजेंट है, हालांकि, याचिका में उक्त पहलू का खुलासा नहीं किया गया है और उसने हलफनामे में खुद को एक किसान के रूप में दावा किया है। इसके अलावा, किया गया अभ्यावेदन पूरी तरह से सरसरी तौर पर और सर्वव्यापी है और बिना किसी और सामग्री के आरोप लगाए गए हैं।

3. इस मामले को देखते हुए, हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली)

फरवरी 6, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"